यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के माह 08/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.04.17 से 03.05.17 तक श्री के0एल0भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी0पी0 सिंह व अनूप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दनांक 08.08.16 से 19.08.16 तक श्री के0एल0भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 05/2015 से 07/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 05/2015 से 07/2016 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 08/2016से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 08/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वानिकी कार्य, उत्तरकाशी वन प्रभाग

(ii) (ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	852.91
2015-16	439.00
2016-17	683.38

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	शून्य	शून्य	979.62	979.62	922.34	922.34	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	1009.94	1009.94	815.98	815.98	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	989.78	989.78	381.67	381.67	शून्य	शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	इन्टी फकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	14.862	14.862	-
2016-17	नमा म गंगे	-	216.34	193.41	22.93

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** केंद्र एवं राज्य द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव वन विभाग> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > प्रभार वनाधिकारी> सहायक वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/17 को राजस्व की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

माह 03/17 को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 (अ)

प्रस्तर-**1:** लीसा के मानक से कम प्राप्ति होने के परिणामस्वरूप ` **13.79** लाख की राजस्व क्षति।

प्रभाग के लीसा से सम्बन्धित अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वर्ष 2016 के दौरान 247150 लीसा के दोहन हेतु घावों में से 193750 घावों पर ही दोहन का कार्य कया गया। उन पर निर्धारित मानक 3.5 कग्रा प्रति घाव की दर से 6781.25 कुन्तल लीसा का उत्पादन होना था जब क वर्ष के दौरान वास्त वक रूप से 6206.53 कुन्तल का ही उत्पादन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 574.72 कुन्तल लीसा का कम उत्पादन हुआ है। जिससे वर्ष के दौरान ` 13,79,328/- की राजस्व क्षति हुयी। जिसका ववरण निम्नवत है।

कुल घावों की संख्या जिन पर कार्य कया जाना था	कुल घावों की संख्या जिन पर कार्य हुआ	प्रति घाव पर निर्धारित प्राप्ति (कग्रा में)	जिन घावों पर कार्य हुआ उन पर निर्धारित मानक से प्राप्ति	वास्त वक प्राप्ति	निर्धारित मानक से प्राप्ति में कमी	वर्ष के दौरान लीसा का औसत बिक्री मूल्य	वर्ष के दौरान औसत उत्पादन लागत प्रति कुन्तल	राजस्व प्राप्ति (प्रति कुन्तल)	राजस्व क्षति
247150	193750	3.5	6781.25	6206.53	574.72	5800	3400	2400 (5800-3400)	1379328 (574.72 x 2400)

उक्त को इं गत कये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क प्रभाग की दस वर्षीय प्रबन्ध कार्य योजना के लीसा संग्रहण अतिछादित कार्यवृत्त के पैरा सं0 16.17 में दिये गये निर्देशानुसार लीसा प्राप्ति 2.5 कु0 प्रति सौ घाव प्रस्ता वत है। जिसके अनुसार प्रभाग का कुल उत्पादन लक्ष्य 4843.75 कु0 होता है, प्रभाग द्वारा वर्ष 2016 में 6206.53 कु0 उत्पादन कया गया जो 1362.78 कु0 अ धक हुआ है।
प्रभाग का उत्तर मान्य नही है क्यों क मुख्य वन संरक्षक भागीरथी वृत, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2016 मे लीसा उत्पादन प्रति सैकड़ा घाव 3.5 कुन्तल अर्थात प्रति घाव 3.5 क-ग्रा0 निर्धारित कया गया है।

अत: लीसा के मानक से कम उत्पादन के परिणामस्वरूप ` 13.79 लाख राजस्व क्षति हुयी।
प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर- **2 53,400** घावों पर कार्य न कये जाने से लीसा की निर्धारित आमद **1869** कुन्टल प्राप्त न होने से ` **44.86** लाख की राजस्व क्षति।

प्रभाग के वर्ष 2016 के लीसा से सम्बन्धित अभलेखों तथा ली गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान 53,400 घावों (निर्धारित घाव 247150-घाव जिनपे कार्य हुआ 193750) में लीसा के दोहन का कार्य नहीं कया गया है जिससे इन घावों पर निर्धारित लीसा 1869 कुन्टल (53,400 घाव x 3.50 कग्रा प्रति घाव = 186900 कलाग्राम) की आमद नहीं हो पायी। वर्ष के दौरान लीसा का औसत बिक्री मूल्य ` 5800/- प्रति कुन्टल था तथा उत्पादन लागत `3400 था। इस प्रकार शुद्ध प्राप्ति ` 2400 प्रति कुन्टल बनता है। लीसा के 53400 घावों पर कार्य न कये जाने से निर्धारित आमद 1869 कुन्टल से ` 44,85,600 (1869 x 2400) की राजस्व की क्षति हुई। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगत करने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क लीसा वदोहन कार्य हेतु प्रशक्षत श्रमकों की कमी होने के कारण टेण्डर प्राप्त न होने से 53,400 घावों पर कार्य नहीं कया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंक नियमानुसार टेण्डर प्राप्त न होने की दशा में वभागीय स्तर पर लीसा वदोहन का कार्य कराया जाना चाहिये था तथा राजस्व हित मे अन्य वैकल्पिक व्यवस्था जैसे क मनरेगा के अन्तर्गत जाब कार्ड धारको का उपयोग ऐसे फलदायक कार्य के लये कया जाना चाहिये था।

अतः 53,400 घावों पर कार्य न कये जाने से लीसा की निर्धारित आमद 1869 कुन्टल से ` 44.86 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 'ब'

प्रस्तर 01 :- ` 14.79 करोड़ की अतिक्रमित वन भूमि के अतिक्रमण से मुक्त न कराया जाना।

प्रभाग के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमित वन भूमि को प्रभाग द्वारा तत्काल बेदखल करते हुए कब्जे मे नहीं लिया गया था। जिसके संबंध मे प्रभागीय वनधिकारी के पत्रांक 4189/27-1, कोटबंगला दिनांक 02.06.2016 मे सभी रेंज को अतिक्रमित भूमि नियमानुसार शीघ्र खाली कराने हेतु आदेश निर्गत किए गए थे जिसके बावजूद मार्च 2017 तक 39.563 हेक्टेयर वन भूमि जिसका भारतीय स्टांप अधिनियम 1989 की धारा 27, 47(क), 75 एवं 340(क) के अधीन कर एवं संथागत वित्त अनुभाग-5 की विज्ञप्ति सख्या एस0 आर0 2114/ग्यारह-97-1305/95 दिनांक 08 जुलाई 1997 के अधीन विज्ञापित संपत्ति नियमावली के नियम-4 के अधीन भूमि की दरो का वार्षिक निर्धारण दिनांक 04 जनवरी 2016 के अनुसार उक्त वन भूमि का मूल्याकन 14.80 करोड़ था जो कि अतिक्रमित थी । जिसका विवरण निम्नवत था।

क्र0 सं0	वर्ष	रेंज का नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल (हे0 मे)	मूल्याकन सूची के अनुसार दर (प्र0 व0 मी0)	अतिक्रमित भूमि का कुल मूल्य
01	1980 से 1995 तक	गंगोत्री रेंज	1.1964	संलग्न सूची के अनुसार	15415804
02	1980	टकनौर रेंज	0.320	तदैव	56320
03	1980 से 2001 तक	बाड़ाहाट	0.96043	तदैव	1393355
04	1989 से 1996 तक	डुंडा	2.5300	तदैव	21440931
05	1984 से 1992 तक	मुखेम	4.0727	तदैव	44817504
06	1961 से 1995 तक	धरासू	30.771	तदैव	64824633
योग			39.5621		147948547

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अतिक्रमण से खाली कराने की कार्यवाही प्रभाग द्वारा गतिमान है। उल्लेखनीय है कि प्रभाग के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व मे 119.35 हे0 अतिक्रमित वन भूमि के सापेक्ष वर्तमान मे मात्र 39.562 हे0 रह गयी है जिसे लगातार खाली कराने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि जब 119.35 हे0 भूमि को खाली कराया जा चुका है तो 39.562 हे0 भूमि को भी अबतक खाली कराया जा सकता था, क्योकि अतिक्रमण करियों के पास इस संबंध मे कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है।

अतः 14.79 करोड़ की अतिक्रमित वन भूमि का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर- **बिना अनुमति के** के उपखनिज के चुगान पर उपखनिज का मूल्य अदा न कया जाना। ` **14.89**

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 के पत्र संख्याः 842/VII-I/2016/24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 द्वारा जारी अ धसूचना के अनुंसार नदी तल से भन्न स्थानों से प्राप्त साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर्स या इसमें से कोई भी मली जुली अवस्था मे हो को उठाने पर दिनांक 19.05.2016 से प्रभावी ` 154.00 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी जमा कया जायेंगा।

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/VII-1/2015/146-ख /2010 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में उपखनिज की रायल्टी दर तत्समय निर्धारित रायल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू थी।

प्रभाग के अन्तर्गत व भन्न रेजों में रैंता/बजरी/बोल्डर्स का चुगान कराकर कये गये कार्यो से सम्बन्धित सूचना के अनुसार प्रभाग द्वारा सम्पादित कार्यो में इसके सापेक्ष कोई रायल्टी जमा नही की गयी थी। देय रायल्टी का ववरण निम्नानुसार है।

प्रभाग के अन्तर्गत रैंता,बजरी एवं बोल्डर्स का एकत्रीकरण

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष	योजना मे प्रयुक्त आर0बी0एम0 की मात्रा (घन मीटर)	देय रायल्टी (कुल रायल्टी का 50 प्रतिशत)
01	नमा म गंगे	2016-17	2464.91	189780
02	राज्य सेक्टर	2016-17	1126.16	86714
03	जिला सेक्टर (भवन मरम्मत)	2016-17	276.41	21284
योग			**3867.48**	**297778**

इस प्रकार प्रभाग के अन्तर्गत व भन्न रेजो द्वारा 3867.48 घनमीटर रैंता/बजरी/पत्थरों का चुगान कर उपयोग कया गया तथा जिसके लये ` 2,97,778.00 की रायल्टी जमा नहीं की गयी। जिसका पांच गुना 14,88,890 खनन वभाग में जमा कया जाना था।

उक्त को इं गत कये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबन्धन की दृष्टि के वन वभाग द्वारा कये जाने वाले समस्त वानिकी /जल एवं भू म संरक्षण एवं अन्य अ धकृत वभागीय कार्य के लए वन वभाग की आवश्यकता के अनुरूप वन संरक्षण अ धनियम 1980 की धारा 2 के 2 में दिये गये प्रा वधानो के परिप्रेक्ष्य मे वभागीय कार्यो हेतु निर्धारित मात्रा में वन क्षेत्रों से बजरी-बोल्डर-आर0बी0एम0 के चुगान/एकत्रीकरण की मात्रा का प्रा वधान संबं धत कार्य के प्राक्कलन में से कम करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक -क-1723/9-2(5) दिनांक 29.01.2011 के निर्देशो के अनुपालन में रायल्टी की धनरा श जमा नही की गयी है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नही था क्यो क वन क्षेत्रों से बजरी-बोल्डर-आर0बी0एम0 के चुगान/एकत्रीकरण हेतु खनन वभाग की अनुमति प्राप्त नही की गयी थी। अतः उपखनिज के मूल्य `14.89 लाख की अदा नही कये जाने को प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>व्यय संबं धत</u>

भाग दो ब

प्रस्तर 01:- बिना उपयोग के ` 25.46 लाख वन जमा मे अवरुद्ध पड़ा रहना।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए नियमो के अनुसार वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग मे लाने हेतु मंजूरी देते समय वनेत्तर प्रयोजनो के लिए उपयोग मे लायी जाने वाली वन भूमि के प्रस्तावो के साथ एक व्यापक योजना बनाकर प्रस्तुत करना होता है। वनेत्तर प्रयोजनों हेतु दी जाने वाली वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है या वनेत्तर प्रयोजन हेतु दी जाने वाली वन भूमि से कम है तो वहाँ क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयोग मे लाये जा रहे क्षेत्र से दुगने अवक्रमित वन क्षेत्र मे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

प्रभाग के अभिलेख FAR फार्म 23 मार्च 2017 की जांच मे पाया की प्रभाग के वन जमा क्षतिपूरक वृक्षारोपण मे धनराशि ` 25,46,626 वर्ष 2007-08 मे वन भूमि हस्तांतरण फलस्वरूप याचक विभाग द्वारा जमा कराया गया था बिना उपयोग के पड़ा है। बिना उपयोग के वन जमा मे धन का पड़ा रहने से वन्यजीव एवं परिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यदि वन जमा से वर्ष 2015 की अनुसूचित दर `119373 (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर) से वृक्षारोपण किया गया होता तो कम से कम 21.33 हेक्टेयर वन भूमि मे वृक्षारोपण किया जा सकता था।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया की धनराशि को पुनर्वैद्य प्रस्ताव वन विभाग स्तर से पत्रांक नि0 – 1607/3-2 दिनांक 17.02.2016 को शासन को प्रेषित किया गया है। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि धनराशि 2007-08 की है प्रभाग द्वारा 17.02.2016 को पत्र प्रेषित किया गया था एवं उक्त पत्र के संदर्भ मे 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी प्रभाग द्वारा धनराशि को पुनर्वैद्य करने के संबंध मे कोई अनुस्मारक पत्र प्रेषित नहीं किया गया था।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -2 ब

प्रस्तर 2:- वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप मे ` 92.02 लाख की अनुग्रह् राशि का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखंड शासन, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/x-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 वन्य जीवों द्वारा जान-माल को क्षति पहुचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप मे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिशित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।

नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुचाई जाने वाली जान-माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।कार्यालय उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत वन्य जीवों द्वारा क्षति एवं अनुग्रह राशि की माह मार्च 2017 की सूचना के अनुसार अनुग्रह राशि के रूप मे भुगतान किया जाना शेष था विवरण निमन्वत है:-

घटना का प्रकार	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या (पूर्व वर्ष)	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या (वर्तमान वर्ष)	शेष धनराशि (` लाख मे)
गम्भीर /आंशिक घायल व्यक्ति	00	01	0.70
पशु क्षति	344	195	91.10
फसल क्षति	00	04	0.22
योग	344	200	92.02

विगत वर्ष के 344 प्रकरणो मे भी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना शेष था तथा शेष 200 प्रकरण चालू वर्ष के थे। क्षतिपूर्ति के रूप मे `92.02 लाख की भारी राशि का भुगतान किया जाना शेष था। प्रभाग के पास `14.30 लाख इस मद मे अवितरित पड़े थे।

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया की नियमानुसार आवश्यक जांच पूर्ण होने पर भुगतान किया जाएगा। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था प्रभाग की उदासीनता के कारण पूर्व वर्षो के 344 प्रकरणों जांच मे अबतक पूर्ण नहीं की जा सकी है।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
14/2011-12	1	-
23/2015-16	-	1,2,3,4
07/2016-17	**1,2**	

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
14/2011-12	-	2,3
23/2015-16	-	1,2,3
07/2016-17	-	1

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी
2.	श्री कोक्रो रोसे	प्रभागीय वनाधिकारी
3.	श्री संदीप	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी